

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमोंक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45001/2015 दिनांक 29.09.2015 द्वारा रामावि से उमावि में कमोन्नति के कारण अधिशेष प्रधानाध्यापकों का समायोजन आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश के क्र०सं० 35 पर श्री कृष्ण कुमार शर्मा प्रधानाध्यापक राजमावि पसून्द राजसमन्द का समायोजन रामावि जैतारण कुम्भलगढ राजसमन्द किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री कृष्ण कुमार शर्मा ने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 2966/16 एवं 864/16 दायर की गई। माननीय अधिकरण द्वारा उक्त दोनों अपीलों को 25.10.2016 द्वारा खारिज किया जा चुका है।

आदेश दिनांक:- 29.09.2015 द्वारा अपीलार्थी श्री शर्मा को रामावि जैतारण कुम्भलगढ राजसमन्द में समायोजित किया गया था जहाँ वर्तमान में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त नहीं है। अतः अपीलार्थी श्री कृष्ण कुमार शर्मा प्रधानाध्यापक का समायोजन राजसमन्द जिले में ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय, टोकरा देवगढ राजसमन्द में प्रधानाध्यापक के पद पर किया जाता है।

  
(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

दिनांक- 18/09/2017

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/बी-1/अपील 2966/95/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत -

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) राजसमन्द
2. जिला शिक्षा अधिकारी विधि जयपुर
3. संस्था प्रधान राजमावि, पसून्द राजसमन्द/रामावि टोकरा-देवगढ राजसमन्द
4. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, प्र०अ० राजमावि पसून्द राजसमन्द
5. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय भाजा(29847/एफ/2015 बी-3)
6. रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर